न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 34 / 2018

अपीलांट्स–	***बनाम***	**रेस्पोडेंट्स –**
1. उदाराम पुत्र लाखाराम		1. किरताराम पुत्र केसराराम
2. मगनाराम पुत्र लाखाराम		2. खींयाराम पुत्र धनाराम
3. राउराम पुत्र लाखाराम		3. मुकनाराम पुत्र खरथाराम
4. प्रदीपकुमार पुत्र पोकरराम		4. मेहराराम पुत्र रूपाराम
5. पुनीतकुमार पुत्र पोकरराम		5. आसूराम पुत्र धनाराम
6. श्रवण कुमार पुत्र पोकरराम		6. जेठाराम पुत्र रतनाराम
7. हेमन्तकुमार पुत्र पोकरराम		7. रूगाराम पुत्र रतनाराम
8. लक्ष्मी पत्नी पोकरराम		8. केसाराम पुत्र रतनाराम
(अपीलांट सं. 6 व 6		9. खूमाराम पुत्र रतनाराम
नाबालिग जरिये वलीया		10. डलाराम पुत्र रतनाराम
माता अपीलांट सं. 8 लक्ष्मी)		11. दीपाराम पुत्र रतनाराम
9. पीराराम पुत्र चूनाराम के		12. गंगाराम पुत्र रतनाराम
कायम मुकाम		13. गवरी पत्नी रतनाराम
9.1 सुखराम पुत्र पीराराम		14. तुलसाराम पुत्र भैराराम
9.2 रूघाराम पुत्र पीराराम		15. खेमाराम पुत्र भैराराम
9.3 मूलाराम पुत्र पीराराम		16. तिलाराम पुत्र करनाराम
9.4 हेमी पत्नी पीराराम		17. हीराराम पुत्र करनाराम
10. लाभूराम पुत्र अलसाराम		18. कंवराराम पुत्र करनाराम
11. डालूराम पुत्र अलसाराम		19. जमना पत्नी करनाराम
12. केसी पत्नी अलसाराम		20. बाली देवी पत्नी आसूराम
जाति कुम्हार निवासी जटिया कुम्हारों की बस्ती बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर		जाति कुम्हार निवासी जटियों कुम्हारों की बस्ती, तहसील व जिला बाड़मेर
		21. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.01.2011 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलांट व उत्तरदाता सं. 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री डालूराम गोदारा, अधिवक्ता, रेस्पो० सं. 1–5 व 15 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 21 प्रफॉर्मा पक्षकार।
4. दिगर रेस्पोडेंट्स बावजूद नोटिस तामील अनुपरिस्थत।

निर्णय

दिनांक : 26.02.2021

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 11.01.2011 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा जटिया कुम्हारों की बस्ती के खसरा नम्बर 49, 143/50, 152/50 रकबा क्रमशः 01–17, 180–04, 33–00 कुल रकबा 215–01 बीघा एवं मौजा बिशनासर के खसरा नम्बर 14 रकबा 149–12 बीघा के खातेदारान किरता पुत्र केसरा, खीया, मूला, आसू पि० धना, उदाराम, मंगनाराम, राउराम पि० लाखा, गेनी पत्नी लाखा, प्रदीप कुमार, पुनीत कुमार, श्रवण कुमार, हेमन्त कुमार पि० पोकरराम, लक्ष्मी पत्नी पोकरराम, पीरा पुत्र चूना, लाभूराम, डालूराम पि० अलसाराम, केसी पत्नी अलसाराम, मुकना पुत्र खरथा, मेहरा पुत्र रूपा, रतना, तुलसा, खेता पि० भेरा, तिला, हीरा, कंवरा पि० करना, जमना पत्नी करना कौम कुम्हारा सा० जटिया कुम्हारों की बस्ती ने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.01.2011 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2010 के तहत आयोजित शिविर में पंजीकृत प्रार्थना पत्र तहसीलदार, बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आ[illegible] र[illegible]दी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन क[illegible] का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी मूढों की ढाणी [illegible]रा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

की गई कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपर्युक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 87 दिनांक 11.01.2011 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.07.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की हैं। अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स द्वारा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि के सहमति विभाजन हेतु आवेदन किया था उसमें नक्शा में खसरा नम्बर 142/50 रकबा 05.00 बीघा राजकीय समर्पण भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में चौकोर आकार में की हुई थी लेकिन विभाजन के पश्चात जो विभाजित की गई भूमि के लिए पृथक से विभक्त खसरा का राजस्व नक्शे में [illegible] की गई तब खसरा नम्बर 142/50 रकबा 05.00 बीघा की तरमीम [illegible] से बदल कर आयाताकार रूप में गलत कर दी गई। अपीलांट्स को [illegible] भूमि की तरमीम बदलने की जानकारी नही हो पाई और अपीलांट्स हमेशा यही समझते रहे कि राजकीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

विधालय हेतु समर्पित की गई भूमि राजस्व नक्शे में समर्पण अनुसार मौके पर होगी किन्तु अर्सा 10–15 दिन पूर्व जब अपीलांट्स अपने खातेदारी भूमि के पास में चल रहे रास्ते की भूमि का उपयोग करने लगे तब मौके पर अन्य खातेदारान द्वारा रास्ते बन्द कर अपीलांट्स को अवगत कराया कि यहां कोई रास्ता नहीं है और उक्त भूमि स्कूल की भूमि हैं तब अपीलांट्स ने हल्का पटवारी से राजस्व नक्शा प्राप्त किया तब सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि सहमति विभाजन आदेश दिनांक 11.01.2011 में रेस्पोडेंट्स ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर खसरा नम्बर 142/50 रकबा 05 बीघा की पूर्व में वर्गाकार की गई तरमीम को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया व अपीलांट्स की सहमति के राजस्व नक्शे में गलत तरमीम करवा दी। अपीलांट्स की ओर से यह अपील आलौच्य आदेश दिनांक 11.01.2011 की जानकारी होने के पश्चात नियत समयावधि के भीतर पेश की जा रही है क्योंकि अपीलांट्स को वक्त सहमति विभाजन मूल खसरा नम्बर 50 में केवल खातेदारी भूमि के विभाजन की तरमीम का ही बताया गया था तथा उसी की सहमति प्रदान की गई थी। अर्सा 10–15 दिन पूर्व रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट्स की कब्जे–काश्त वाली भूमि में दलखदांजी करने एवं रास्ते को अवरूद्ध करने का प्रयास किया तब अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त की तथा जानकारी होने से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर मौजा जटिया कुम्हारों की बस्ती के खसरा नम्बर 50, 143/50, 152/50 व 140 के सहमति विभाजन आदेश एवं खसरा नम्बर 142/50 की तरमीम में फेरबदल को निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

5. रेस्पोडेंट सं. 1–5 व 15 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की सहमति से संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर सहमति विभाजन प्रस्तुत किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के मध्य पूर्व में किये गये बाहमी बंटवाड़ा एवं मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार तैयार किया गया था। पक्षकारान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

संयुक्त खातेदारी की भूमि में से 5–00 बीघा भूमि जो पूर्व में स्कूल के लिये समर्पित की गई थी उसका रकबा माफिक नक्शा में तरमीम छोड़ते हुए शेष भूमि का ही विभाजन किया गया था। इस विभाजन से अपीलांट्स किसी प्रकार से न तो प्रभावित होते हैं तथा न ही उनके आने–जाने का रास्ता बाधित हो रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन करने हेतु प्रार्थना–पत्र एवं विभाजन नक्शा प्रस्तुत किया। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा पक्षकारान के हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन एवं कब्जा–काश्त की ताईद करते हुए समान लगान का विभाजन होने के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की अनुशंषा की गई। इस पर पक्षकारान की स्वतंत्र सहमति के आधार पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश के तहत विवादित भूमि का विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजात हेतु हल्का पटवारी को आदेशित किया गया। अपीलाधीन आदेश रेस्पोडेंट सं. 1 स्वंय की उपस्थिति में उसकी स्वतंत्र सहमति पर पारित किया गया हैं ऐसे में अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रतिकूल कथन करने से विबंधित हैं। एक बार राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी स्वतंत्र सहमति व्यक्त करने के बाद उसके विरूद्ध प्रतिकूल कथन करने से बाधित हैं तथा सहमति से किये गये विभाजन के विरूद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं हैं। अपीलांट द्वारा पूर्व में किये गये बाहमी बंटवाड़े एवं मौके–कब्जे के अनुसार विभाजन स्वीकार करने के पश्चात अब उसकी नीयत में खोट आ गया हैं तथा रेस्पोडेंट द्वारा विकसित की गई भूमि को हड़पने एवं रेस्पो0 को खर्चे से जैरबार करने की नीयत से यह अपील प्रस्तुत की गई हैं जो सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं, लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:30 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने दोनो पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

मौजा जटिया कुम्हारों की बस्ती के खसरा नम्बर 49, 143 / 50, 152 / 50 रकबा क्रमशः 01–17, 180–04, 33–00 कुल रकबा 215–01 बीघा एवं मौजा बिशनासर के खसरा नम्बर 14 रकबा 149–12 बीघा के खातेदारान किरता पुत्र केसरा, खीया, मूला, आसू पि0 धना, उदाराम, मंगनाराम, राउराम पि0 लाखा, गेनी पत्नी लाखा, प्रदीप कुमार, पुनीत कुमार, श्रवण कुमार, हेमन्त कुमार पि0 पोकरराम, लक्ष्मी पत्नी पोकरराम, पीरा पुत्र चूना, लाभूराम, डालूराम पि0 अलसाराम, केसी पत्नी अलसाराम, मुकना पुत्र खरथा, मेहरा पुत्र रूपा, रतना, तुलसा, खेता पि0 भेरा, तिला, हीरा, कंवरा पि0 करना, जमना पत्नी करना कौम कुम्हारा सा0 जटिया कुम्हारों की बस्ती ने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.01.2011 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2010 के तहत आयोजित शिविर में पंजीकृत प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी मूढों की ढाणी द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपर्युक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 87 दिनांक 11.01.2011 पारित किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन हैं कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के द्वारा स्कूल हेतु पूर्व में समर्पित की गई 5–00 बीघा भूमि [illegible] बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से बदल कर [illegible] कर दी गई हैं जिससे अपीलांट्स का रास्ता अवरूद्ध हो गया हैं। [illegible] स संबंध में तहसीलदार बाड़मेर से मौका कब्जा एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई, जिसमें अवगत

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:30 IST
Reason: SelfAttested

कराया हैं कि बंटवाड़ा स्वीकृति के फलस्वरूप जो नामान्तरकरण सं. 209 दिनांक 11.01.2011 को स्वीकृत हुआ, उस सहमति विभाजन की तरमीम करते समय समर्पित भूमि रकबा 05–00 बीघा की पूर्व में की गई तरमीम से भिन्न नये तरीके से तरमीम कर दी गई। इस तरमीम परिवर्तन हेतु कोई आदेश जारी नहीं हुआ। इस प्रकार तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट से अपीलांट्स के कथन की ताईद होती हैं तथा राजस्व नक्शें में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से विभाजन प्रस्ताव की आड़ में तरमीम परिवर्तित कर दी गई हैं। इसके अलावा अपीलांट के अधिवक्ता का कथन हैं कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा स्कूल की भूमि की तरमीम परिवर्तन करने से उसका रास्ता अवरूद्ध हो गया हैं अर्थात् मौके की स्थिति से भिन्न तरमीम प्रस्तावित की गई है जिससे प्रथम दृष्ट्या उक्त विभाजन राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 में यथा विहित प्रावधानों के प्रतिकूल होने से बहाल रखे जाने योग्य नही हैं। राजस्व नियमावली के अन्तर्गत संयुक्त खातेदारी के विभाजन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव में भूमि के मौका कब्जा एवं रास्ते की सुविधा को मध्य नजर रखा जाना आवश्यक हैं जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के हिस्से में आये एक भाग एवं रास्ते के बीच स्कूल की तरमीम कर दी गई हैं जिससे उसे आने–जाने में कठिनाईयों का सामना करना पडेंगा। इस प्रकार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट्स की सहमति से निष्पादित होना अभिलेख पर है किन्तु इस विभाजन के फलस्वरूप पक्षकारान के बीच कब्जे–काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नही

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:30 IST
Reason: SelfAttested

करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 11.01.2011 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:30 IST
Reason: SelfAttested